# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर मे दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2351/2019 खेमा राम आरेसा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा चम्पालाल व्यास के प्रकरण में जारी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्री खेमा राम आरेसा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि याचिकार्थी को वर्ष 1990–91 की डीपीसी से तृतीय श्रेणी वेतनमान से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करते हुए प्रधानाध्यापक राउप्रावि के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश की पालना में याचिकार्थी द्वारा दिनांक 10.12.1992 को प्रधानाध्यापक राउप्रावि के पद पर बसंत, सुगेरपुर, पाली में कार्यग्रहण किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2008–09 में याचिकार्थी को पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर पद विरूद्ध पदस्थापित किया गया जिसकी अनुपालना मे श्री खेमा राम द्वारा रा.मा.वि कोलर, पाली में दिनांक 03.05.2010 को कार्यग्रहण किया गया। तदुपरान्त वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक के माध्यम से याचिकार्थी का प्रधानाध्यापक समकक्ष पद पर विभागीय आदेश दिनांक 26.03.15 द्वारा चयन किया गया। याचिकार्थी प्रधानाध्यापक पद पर निरन्तर सेवाएं देते हुए रा.मा.वि सरदारपुरा की ढाणी, रोहट, पाली से दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकार्थी द्वारा पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण की दिनांक से वित्तीय परिलाभ दिये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनके अभ्यावेदन पर विचार किया गया। याचिकार्थी का प्रकरण श्री चम्पालाल व्यास के प्रकरण से सर्वथा भिन्न है क्योंकि श्री चम्पालाल व्यास द्वारा वर्ष 2009 में पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण किया गया था और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध श्री व्यास की नियमित डीपीसी की गई थी। याचिकार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनका पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर केवल पद विरूद्ध पदस्थापन किया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी नियमित डीपीसी नहीं की गई थी। याचिकार्थी की नियमित डीपीसी वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई थी। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश एफ.1(7)एफडी/रूल्स/2008 जयपुर दिनांक 30.07.13 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 23.02.2015 के अनुसार याचिकार्थी द्वारा वांछित लाभ नियमित डीपीसी उपरान्त कार्यग्रहण दिनांक से ही देय है। इस प्रकार याचिकार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह नियमानुसार देय नहीं है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति नहीं होने के कारण दिनांक 03.05.2010 से पदोन्नति परिलाभ दिया जाना संभव नहीं है। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते

16.12.21

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/खेमाराम/2351/2021 दिनांकः 16/12/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पाली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक पाली।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned with CamScanner